# Working of Institutions

## *एक बड़ा नीतिगत निर्णय कैसे लिया जाता है?*

*एक प्रमुख नीतिगत निर्णय एक सार्वजनिक मुद्दे को संबोधित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई एक महत्वपूर्ण कार्रवाई या योजना है। प्रक्रिया आमतौर पर इन प्रमुख चरणों का पालन करती है:*

***1. समस्या की पहचान करना***
*सरकारी एजेंसियां, विशेषज्ञ, नागरिक या राजनीतिक नेता एक सार्वजनिक मुद्दे की पहचान करते हैं - जैसे कि बेरोजगारी, प्रदूषण, या राष्ट्रीय सुरक्षा - जिसके लिए सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता होती है।*

***2. एजेंडा निर्धारित करना***
*इस मुद्दे को प्राथमिकता दी जाती है और आधिकारिक एजेंडे में रखा जाता है। निर्णय लेने वाले यह तय करते हैं कि क्या इसे संबोधित करना तत्काल, महत्वपूर्ण और व्यवहार्य है।*

***3. विकल्प तलाशना***
*विभिन्न समाधान प्रस्तावित हैं। इस चरण में शामिल हैं:*
- *विशेषज्ञ समितियां या आयोग*
- *हितधारकों के साथ परामर्श*
- *अन्य क्षेत्रों या देशों में समान नीतियों का अध्ययन करना*
- *लागत-लाभ विश्लेषण*

***4. निर्णय लेना***
*नीति पर उच्च निर्णय लेने के स्तर पर चर्चा की जाती है - आमतौर पर **कैबिनेट** या समकक्ष कार्यकारी निकाय। राजनीतिक नेतृत्व मूल्यांकन करता है:*
- *व्यवहार्यता*
- *आर्थिक प्रभाव*
- *कानूनी निहितार्थ*
- *जनता की राय*

*इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाता है।*

BY: NK MISHRA

***5. कार्यान्वयन***
*एक बार मंजूरी मिलने के बाद, संबंधित मंत्रालय या विभाग एक कार्य योजना बनाते हैं। इसमें शामिल हैं:*
- *धन आवंटित करना*
- *नियम और दिशानिर्देश बनाना*
- *स्थानीय एजेंसियों के साथ समन्वय*

***6. निगरानी और मूल्यांकन***
*नीति शुरू होने के बाद, सरकार मूल्यांकन करती है:*
- *क्या यह वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है?*
- *क्या कोई बाधाएं हैं?*
- *क्या इसे संशोधन की आवश्यकता है?*

➢ *एक बड़ा नीतिगत निर्णय कैसे लिया जाता है?*

➢ ***कौन बड़े फैसले लेता है?***

*इसका उदाहरण **1990 में जारी एक** ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) है, जिसमें **सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों** को **सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया गया था**। ओएम पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी ने वास्तव में यह तय नहीं किया था। उन्होंने केवल केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को लागू किया।*
*आपने पहले जो सीखा उसके अनुसार:*
- ***राष्ट्रपति** राज्य का प्रमुख और सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी होता है।*
- ***प्रधानमंत्री** सरकार का प्रमुख होता है और अधिकांश बड़े निर्णय लेता है।*

- ***संसद*** *(राष्ट्रपति + लोकसभा + राज्यसभा) सरकार की जांच करती है, खासकर इसलिए क्योंकि पीएम के पास लोकसभा के बहुमत का समर्थन होना चाहिए।*

*इसलिए, इस तरह के एक बड़े निर्णय में* ***प्रधानमंत्री, कैबिनेट और संसद शामिल होती****।*

- ***पृष्ठभूमि: मंडल आयोग***

- *भारत सरकार* ***ने*** *1979* ***में*** *बीपी मंडल* ***की अध्यक्षता में*** *दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग* ***की स्थापना*** *की, जिसे मंडल आयोग* ***के*** *रूप में जाना जाता →।*
- *यह करना था:*
  - *सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करें।*
  - *उनकी प्रगति के लिए कदमों की सिफारिश करें।*
- *1980* ***में****, आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।*
- *एक बड़ी सिफारिश:* ***पिछड़े वर्गों के लिए*** *सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण।*

*कई वर्षों तक संसद ने इस रिपोर्ट पर बहस की। कई दलों ने इसे लागू करने की मांग की।*

- ***चुनावों ने बदली स्थिति***

- *1989 के लोकसभा चुनाव में* ***जनता दल ने*** *मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया था.*
- *जनता दल की सरकार बनी और* ***वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने****।*

- ***कार्यालय ज्ञापन के लिए अग्रणी कदम***

*इसके बाद कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं:*

I. ***राष्ट्रपति ने*** *संसद में अपने संबोधन में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की सरकार की मंशा की घोषणा की।*
II. *6 अगस्त 1990* ***को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने*** *औपचारिक रूप से उन्हें लागू करने का निर्णय लिया।*
III. *7 अगस्त 1990 को* ***प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने*** *संसद के दोनों सदनों को इस फैसले के बारे में सूचित किया।*
IV. *इसके बाद इस फैसले को* ***कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया****।*
V. *वरिष्ठ अधिकारियों ने एक आदेश का मसौदा तैयार किया, मंत्री से मंजूरी ली।*
VI. *एक अधिकारी ने हस्ताक्षर किए और आदेश जारी किया।*

*इस प्रकार* ***ओएम संख्या 36012/31/90*** *13 अगस्त 1990* ***को लागू हुआ****।*

- ***जनता की प्रतिक्रिया***

*महीनों तक, यह भारत में सबसे अधिक बहस का मुद्दा बन गया:*

- ***समर्थकों ने*** *महसूस किया कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को उचित अवसर देने के लिए आरक्षण आवश्यक था।*
- ***विरोधियों ने*** *तर्क दिया कि:*
  - *इसने अवसर की समानता का उल्लंघन किया।*
  - *यह अधिक योग्य उम्मीदवारों को नौकरी से वंचित कर सकता है।*
  - *यह जातिगत विभाजन को मजबूत कर सकता है।*

*व्यापक विरोध और प्रति-विरोध प्रदर्शन* ***हुए****, कुछ हिंसक हुए।*

*इस अध्याय में, हम निर्णय का न्याय नहीं करते हैं, केवल* ***एक प्रमुख नीतिगत निर्णय लेने और लागू करने की*** *प्रक्रिया को समझते हैं।*

- ***सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका***

*ओएम का विरोध करने वाले लोगों ने कई मुकदमे दायर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मामलों को एक में जोड़ दिया:* ***इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ (1992)।***

- ***11 जजों ने*** *मामले की सुनवाई की।*
- *कोर्ट ने* ***सरकार के आदेश को*** *बरकरार रखा।*
- *लेकिन इसने सरकार से आदेश के कुछ हिस्सों को* ***संशोधित*** *करने के लिए भी कहा।*

*इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने* ***विवाद का निपटारा कर दिया****।*

- ***यह कार्यालय ज्ञापन एक बड़ा राजनीतिक निर्णय क्यों था?***

*क्योंकि:*

- *इसने हजारों सरकारी नौकरी के अवसरों को* ***प्रभावित किया****।*

- *इसमें लंबी राजनीतिक बहस, कैबिनेट का निर्णय, संसद चर्चा, सार्वजनिक विरोध और सुप्रीम कोर्ट के फैसले **शामिल थे**।*
- *इसने राष्ट्रीय राजनीति को बदल दिया (जिसे अक्सर "**राजनीति का मंडलीकरण**" **कहा जाता है**)।*

## ➢ *राजनीतिक संस्थानों की आवश्यकता*

***1. हमें संस्थानों की आवश्यकता क्यों है?***

*किसी देश पर शासन करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता होती है, जैसे:*

- *नागरिकों के लिए **सुरक्षा** सुनिश्चित करना*
- *शिक्षा **और** स्वास्थ्य सुविधाएं **प्रदान करना***
- ***कर एकत्र करना***
- *प्रशासन, रक्षा और विकास **पर पैसा खर्च करना***
- *कल्याणकारी योजनाएं **चलाना***
- *देश के लिए नियम और नीतियां बनाना*
- *लोगों और सरकार के बीच विवादों का निपटारा*

*इन कार्यों को करने के लिए:*

- *कुछ लोगों को **निर्णय लेने चाहिए***
- *दूसरों को **उन फैसलों को लागू करना चाहिए***
- *असहमति उत्पन्न होने पर एक अलग निकाय को **विवादों को सुलझाना** चाहिए इसके लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि **कौन किसके लिए जिम्मेदार है**। साथ ही **नेता बदलने पर भी सरकारी काम जारी रहना चाहिए**।*

*इसलिए, आधुनिक लोकतंत्र इन सभी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए **संस्थानों** का निर्माण करते हैं।*

***2. संस्थान क्या हैं?***

***संस्थान** लंबे समय तक चलने वाली **व्यवस्थाएं, कार्यालय और प्रणालियां हैं** जो सरकार को सुचारू रूप से काम करने की अनुमति देती हैं।*

*लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता **है जब ये संस्थाएं अपने सौंपे गए कार्यों को पूरा करती हैं**।*

***संविधान** परिभाषित करता है:*

- *कौन सी संस्थाएं मौजूद हैं*
- *उनके पास क्या शक्तियां हैं*
- *उन्हें क्या कार्य करने चाहिए*

BY : NK MISHRA

***3. उदाहरण में देखी गई संस्थाएँ***

*मंडल आयोग के उदाहरण से, हमने कई संस्थानों को काम करते देखा:*

- ***प्रधानमंत्री और कैबिनेट***
- *वे सरकारी नीति के संबंध में **सभी महत्वपूर्ण निर्णय** लेते हैं।*
- ***सिविल सेवक (नौकरशाही)***
- *वे मंत्रियों द्वारा लिए गए फैसलों को लागू करते हैं।*
- *वे ड्राफ्ट तैयार करते हैं, आदेश जारी करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि निर्णय लिए जाएं।*
- ***सर्वोच्च न्यायालय***
- *यह नागरिकों और सरकार के बीच विवादों **को** सुलझाता है।*

***उदाहरण में अन्य संस्थान (आप इनका उल्लेख कर सकते हैं):***

- ***संसद** (मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा और बहस)*
- ***राष्ट्रपति** (संसद में सरकार की मंशा की घोषणा)*
- ***विभागों/मंत्रालयों** (जैसे, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन का मसौदा तैयार किया)*

*प्रत्येक निर्णय लेने और कार्यान्वयन में अपनी भूमिका निभाता है।*

***4. संस्थान क्यों आवश्यक हैं, भले ही वे देरी का कारण बनते हों***

*संस्थानों के साथ काम करना हमेशा आसान नहीं होता है:*

- *इनमें नियम, विनियम, बैठकें, समितियां **और निर्धारित प्रक्रियाएं** शामिल हैं।*
- *इससे देरी **हो सकती** है और **धीमी या निराशाजनक** लग सकती है। लेकिन ये देरी वास्तव में **लोकतंत्र में उपयोगी हैं** क्योंकि:*

- *अधिक लोगों को **परामर्श लेने** और **अपनी राय देने का मौका मिलता है**।*
- *यह किसी एक व्यक्ति द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है।*
- *निर्णय अधिक संतुलित और निष्पक्ष **हो जाते हैं**।*

## ➢ पार्लियामेंट

***हमें संसद की आवश्यकता क्यों है?***

*हर लोकतंत्र में **चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह होता है** जो लोगों की ओर से कार्य करता है। इस शरीर को कहा जाता है:*

- ***राष्ट्रीय स्तर पर** संसद*
- ***राज्य स्तर पर** विधानमंडल या विधान सभा*

*अलग-अलग लोकतंत्र अलग-अलग नामों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कार्य समान है।*
*संसद कई महत्वपूर्ण तरीकों से **सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार** का प्रयोग करती है:*

### ➢ संसद कानून बनाती है

- ***संसद देश की** अंतिम कानून बनाने वाली संस्था है।*
- *यह कर सकता है:*
  - *नए कानून बनाएं*
  - *मौजूदा कानूनों को बदलें*
  - *पुराने कानूनों को खत्म करें और उन्हें बदलें*

*चूंकि कानून बनाना एक प्रमुख कार्य है, इसलिए संसदों को **विधायिका कहा जाता है**।*

### ➢ संसद सरकार को नियंत्रित करती है

- *सरकार तभी सत्ता में रह सकती **है जब तक** उसे संसद (विशेषकर भारत में लोकसभा) का समर्थन प्राप्त हो।*
- *यदि संसद समर्थन वापस ले लेती है, तो सरकार को इस्तीफा देना होगा।*

*इससे संसद **को सरकार पर** सीधा और पूर्ण नियंत्रण मिलता है।*

### ➢ संसद जनता के धन को नियंत्रित करती है

- *सरकार **संसद की मंजूरी के बिना** एक रुपया भी खर्च नहीं कर सकती।*
- *सभी सरकारी बजट, करों और व्ययों के लिए **संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है**।*

### ➢ संसद चर्चा का सर्वोच्च मंच है

- *संसद वह जगह है जहां **राष्ट्रीय नीतियों, सार्वजनिक मुद्दों और सरकारी कार्यों** पर बहस होती है।*
- *यह प्रश्न पूछ सकता है, स्पष्टीकरण मांग सकता है और सरकार से जानकारी मांग सकता है।*

*यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।*

***मंडल आयोग में संसद की भूमिका उदाहरण***

*भले ही संसद **ने अंतिम निर्णय नहीं लिया**, फिर भी इसने प्रक्रिया को प्रभावित किया:*
*अध्याय से इन वाक्यों को पूरा करें:*

- ***मंडल आयोग की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा की गई।***
- ***भारत के राष्ट्रपति ने संसद में अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया।***
- ***प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों में वक्तव्य दिया।***

*इससे पता चलता है कि संसद **गहराई से शामिल थी**, भले ही सीधे तौर पर मामले का फैसला न किया गया हो।*

### ❖ सरकार संसद की अनदेखी क्यों नहीं कर सकती थी?

*क्योंकि सरकार:*

- ***लोकसभा में बहुमत के समर्थन की जरूरत***
- *संसद के प्रति **जवाबदेह और जवाबदेह** बने रहना चाहिए*
- *अगर संसद बड़े फैसलों का विरोध करती है तो जीवित नहीं रह सकती*

*अगर संसद इससे पूरी तरह असहमत होती तो सरकार  मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती थी*

- ***संसद के दो सदन***

***देशों में दो घर क्यों हैं?***

***1. प्रथम सदन (निचला सदन)***

- ***लोगों द्वारा सीधे चुने गए***
- *वास्तविक शक्ति* ***का प्रयोग करता है*** *क्योंकि यह नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है*

***2. द्वसरा सदन (उच्च सदन)***

- *आमतौर पर* ***अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं***
- *विशेष रूप से विशेष भूमिकाएँ* ***निभाता है****:*
  - *राज्यों/ क्षेत्रों के हितों की* ***रक्षा करता है***
  - *निचले सदन द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच और समीक्षा*

*यह प्रणाली जल्दबाजी में निर्णय लेने से रोकती है और विभिन्न क्षेत्रों को आवाज देती है।*

***भारत की संसद***

*भारत में भी* ***दो सदन हैं****:*

***1. लोकसभा (लोक सभा)***

- *सीधे निर्वाचित*
- *लोगों का प्रतिनिधित्व करता है*

***2. राज्यसभा (राज्यों की परिषद)***

- *अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित*
- *राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है*

*इसके अतिरिक्त:*

***भारत के राष्ट्रपति***

- *संसद का हिस्सा* ***है***
- *किसी भी सदन का सदस्य नहीं*
- *राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही* ***कोई कानून प्रभावी होता है***

BY: NK MISHRA

***लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर***

*(आप इन्हें पिछली कक्षाओं से उत्तर दे सकते हैं—यहाँ सही जानकारी है।*

✔ ***1. सदस्यों की कुल संख्या***

- ***लोकसभा:*** *अधिकतम 552*
- ***राज्यसभा:*** *अधिकतम 250 (वर्तमान में 245)*

✔ ***2. सदस्यों का चुनाव कौन करता है?***

- ***लोकसभा:*** *जनता द्वारा सीधे निर्वाचित*
- ***राज्य सभा:*** *विधायकों (राज्य विधानसभाओं के सदस्य) द्वारा निर्वाचित; राष्ट्रपति ने 12 को नामित किया*

✔ ***3. अवधि***

- ***लोकसभा:*** *5 वर्ष*
- ***राज्यसभा:*** *6 वर्ष (एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं)*

✔ ***4. क्या सभा को भंग किया जा सकता है?***

- ***लोकसभा:*** *हां, इसे भंग किया जा सकता है*
- ***राज्य सभा:*** *नहीं, यह एक* ***स्थायी सदन है***

***कौन सा घर अधिक शक्तिशाली है?***

*कुछ लोग राज्यसभा को "उच्च सदन" और लोकसभा को "निचला सदन" कहते हैं। यह सिर्फ* ***पुरानी ब्रिटिश शब्दावली है****।*
***इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यसभा अधिक शक्तिशाली है।***

*भारत में:*

***लोकसभा ज्यादातर मामलों में अधिक शक्तिशाली है।***

- ***लोकसभा कैसे अधिक शक्तिशाली है***

***1. साधारण कानून पारित करने में***

- *एक विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए।*
- *यदि वे असहमत हैं→ एक **संयुक्त सत्र** आयोजित किया जाता है।*
- *चूंकि लोकसभा में **अधिक सदस्य होते हैं**, इसलिए आमतौर पर उसका दृष्टिकोण जीतता है।*

***2. धन के मामलों में (बजट, कराधान, सरकारी खर्च)***

- *लोकसभा का पूरा **नियंत्रण है**।*
- *राज्यसभा:*
  - ***धन विधेयक को** अस्वीकार नहीं कर सकते*
  - *इसमें केवल 14 दिनों की देरी **हो सकती है** या **बदलाव का सुझाव दे सकते हैं***
- *लोकसभा इन सुझावों को **स्वीकार या अनदेखी कर सकती** है।*

*इस प्रकार, लोकसभा के पास **अधिक वित्तीय शक्ति है**।*

***अंत में सत्तारूढ़ पार्टी की जीत होने पर भी बहस क्यों जरूरी है?***

*क्योंकि:*

- *बहस से फैसले पारदर्शी होते हैं*
- *विपक्ष समस्याओं और वैकल्पिक विचारों **को उजागर करता है***
- *सरकार को अपने कार्यों **को उचित ठहराना** चाहिए*
- *यह लोकतंत्र और जवाबदेही **को मजबूत करता है***

❖ ***लोकसभा के जीवन में एक दिन***

***सुबह 11:00 बजे – प्रश्नकाल***

***क्या हुआ?***

*सांसदों द्वारा पूछे गए 250 प्रश्नों के लिखित उत्तर मंत्रालयों ने दिए। विषयों में शामिल हैं:*

- *कश्मीर में आतंकियों से बात करने की नीति*
- *अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार*
- *दवाओं की अधिक कीमत*

***संसद की शक्ति ने दिखाया:***

✔ ***सरकार पर नियंत्रण***

*सांसद मंत्रियों से सवाल करते हैं और सरकार को जवाब देना चाहिए। यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।*

***दोपहर 12:00 बजे - दस्तावेज पटल पर रखना***

*प्रस्तुत दस्तावेजों में शामिल हैं:*

- *भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के लिए भर्ती नियम*
- *आईआईटी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट*
- *राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के खाते*

***संसद की शक्ति ने दिखाया:***

✔ ***सरकारी विभागों की निगरानी***

*सरकार कैसे काम करती है, इसकी जांच करने के लिए संसद रिपोर्टों की जांच करती है।*

***दोपहर 12:02 बजे – मंत्रिस्तरीय वक्तव्य***

*द्वारा दिए गए बयान:*

- *पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री*
- *रेल राज्य मंत्री (अधिक धन के लिए अनुरोध)*
- *माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री (एक विधेयक और एक अध्यादेश के बारे में)*

***संसद की शक्ति ने दिखाया:***

✔ ***चर्चा और सूचना के लिए मंच***

*मंत्रियों को संसद को सरकार के कार्यों के बारे में बताना चाहिए।*

***दोपहर 12:14 बजे - सदस्यों ने मुद्दे उठाए***

*उठाए गए मुद्दों में शामिल हैं:*

BY: HK MISHRA

- *तहलका मामले में सीबीआई का आचरण*
- *राजस्थानी को आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ना*
- *आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए बीमा का नवीनीकरण*

***संसद की शक्ति ने दिखाया:***

✔ ***सार्वजनिक सरोकारों का प्रतिनिधित्व***

*सांसद लोगों और क्षेत्रों की शिकायतों को उजागर करते हैं।*

***दोपहर 2:26 बजे – दो विधेयकों का पारित होना***

*पारित विधेयक:*

- ***प्रतिभूति कानून (संशोधन) विधेयक***
- ***प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋणों की वसूली (संशोधन) विधेयक***

***संसद की शक्ति ने दिखाया:***

✔ ***कानून बनाने की शक्ति***

*विधेयकों को पारित करना संसद के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है।*

***शाम 4:00 बजे – विदेश नीति पर चर्चा***

*इस पर लंबी बहस:*

- *भारत की विदेश नीति*
- *इराक के संदर्भ में नीति की स्वतंत्रता*

***संसद की शक्ति ने दिखाया:***

✔ ***राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस का सर्वोच्च मंच***

*संसद देश को प्रभावित करने वाली प्रमुख नीतियों पर चर्चा करती है।*

***शाम 7:17 बजे – सदन स्थगित***

***महत्वपूर्ण बिंदु: लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है***

*इस दिन की गतिविधियों के बाद, अध्याय हमें याद दिलाता है:*

✔ ***अविश्वास प्रस्ताव के जरिए लोकसभा ही सरकार को हटा सकती है।***

*यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का मंत्रिपरिषद में विश्वास खो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए।*

✱ ***राज्यसभा सरकार को नहीं हटा सकती।***

*यह लोकसभा की विशेष शक्ति* ***को दर्शाता है****।*

## ❖ *राजनीतिक कार्यकारी*

***राजनीतिक कार्यकारी और स्थायी कार्यकारी***

*लोकतंत्र में, कार्यपालिका के दो भाग होते हैं:*

***1. राजनीतिक कार्यकारी (निर्वाचित)***

- *सीमित अवधि (5 वर्ष) के लिए लोगों द्वारा चुना गया*
- *शामिल:*
  - *प्रधानमंत्री*
  - *मंत्रियों*
- *वे बड़े फैसले* ***लेते हैं***
- *वे* ***लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं***

***2. स्थायी कार्यकारी (सिविल सेवा)***

- *लंबी अवधि की सेवा के लिए नियुक्त*
- *इसमें सिविल सेवक, अधिकारी, सचिव शामिल हैं*
- *सरकार बदलने पर* ***वे*** *नहीं बदलते*
- *वे निर्णयों* ***को लागू करते*** *हैं और मंत्रियों की सहायता करते हैं*

***उदाहरण:***

*Office मेमोरेंडम मामले में:*

- *राजनीतिक कार्यकारिणी ने लिया फैसला*
- *स्थायी कार्यकारिणी ने मसौदा तैयार कर आदेश जारी किया*

***मंत्री सिविल सेवकों से अधिक शक्तिशाली क्यों हैं?***

*आपको आश्चर्य हो सकता है:*

- *सिविल सेवक अधिक शिक्षित होते हैं*
- *उनके पास अधिक तकनीकी ज्ञान है*
- *मंत्री अक्सर तकनीकी मुद्दों के बारे में कम जानते हैं*

*तो मंत्री **अंतिम निर्णय क्यों लेते हैं**?*

***क्योंकि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है।***

- *मंत्रियों को जनता द्वारा चुना **जाता है***
- *सिविल सेवकों की नियुक्ति की जाती है, निर्वाचित नहीं*
- *मंत्री जनता के प्रति जवाबदेह **होते हैं***
- *सिविल सेवक **मंत्री के प्रति जवाबदेह होते हैं***

*मंत्री समग्र नीतियों और उद्देश्यों **को तय करते हैं**। विशेषज्ञ (अधिकारी) सलाह देते हैं, लेकिन:*

- *विशेषज्ञ एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं*
- *विशेषज्ञ विकल्प प्रदान करते हैं*
- *मंत्री जनहित और राजनीतिक लक्ष्यों **के आधार पर चयन करता है***

***सरल उदाहरण:***

*विशेषज्ञ रास्ता **दिखाते हैं**, लेकिन चुने हुए नेता (मंत्री) **गंतव्य तय करते हैं**।*

*यह सभी बड़े संगठनों में होता है।*

❖ ***प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद***

***प्रधानमंत्री (पीएम)** भारत की सबसे **महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था** है।*

***प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है?***

- *राष्ट्रपति **औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति** करते हैं*
- *लेकिन राष्ट्रपति किसी **को बेतरतीब ढंग से नहीं चुन सकते***
- *राष्ट्रपति को नियुक्त करना चाहिए:*
  - *लोकसभा **में बहुमत वाले दल के नेता**, या*
  - *बहुमत के साथ गठबंधन के नेता*

*यदि किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसे **बहुमत का समर्थन मिलने की** सबसे अधिक संभावना है।*

***प्रधानमंत्री का कार्यकाल***

- *कोई निश्चित कार्यकाल नहीं*
- *प्रधानमंत्री तब तक बने रहेंगे जब तक **लोकसभा में उनके पास** बहुमत का समर्थन है*

***मंत्रियों की नियुक्ति***

*पीएम की नियुक्ति के बाद:*

- *राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है*
- *लेकिन केवल **पीएम की सलाह पर***
- *आमतौर पर मंत्री सत्तारूढ़ दल/ गठबंधन से संबंधित होते हैं*
- *एक गैर-सांसद मंत्री हो सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर निर्वाचित होना चाहिए*

***मंत्रिपरिषद***

*यह सभी मंत्रियों का एक साथ आधिकारिक नाम है। आमतौर पर **60-80 मंत्री**, विभिन्न रैंकों के:*

***1. कैबिनेट मंत्री***

- *शीर्ष स्तर के नेता*
- *प्रमुख मंत्रालयों का नेतृत्व करें*
- *सरकार का **आंतरिक घेरा** बनाएं*
- *लगभग **25 सदस्य***

- *लगभग सभी बड़े फैसले लें*

*कैबिनेट की बैठकें सरकार **को चलाती** हैं।*

***2. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)***

- *छोटे मंत्रालयों को संभालें*
- *आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में शामिल हों*

***3. राज्य मंत्री***

- *कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करें*
- *कैबिनेट की बैठकों में खुद शामिल न हों*

***इसे सरकार का कैबिनेट रूप क्यों कहा जाता है?***

*क्योंकि:*

- *सभी 60-80 मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलना अव्यावहारिक है*
- *इसलिए **कैबिनेट** (शीर्ष 20-25 मंत्री) निर्णय लेता है*
- *कैबिनेट के फैसले सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं*
- *कैबिनेट के फैसलों की खुलकर आलोचना नहीं कर सकते मंत्री*
- *कैबिनेट एक टीम **के रूप में काम करती है***

***सिविल सेवकों और कैबिनेट सचिवालय की भूमिका***

- *हर मंत्रालय में एक **सचिव** (वरिष्ठ सिविल सेवक) होता है*
- *वे मंत्रियों को सभी आवश्यक जानकारी और सलाह देते हैं*
- ***कैबिनेट सचिवालय** (शीर्ष अधिकारियों का समूह) मंत्रालयों के बीच नीतियों के समन्वय में मदद करता है*

***नेता मंत्री क्यों बनना चाहते हैं?***

*(कार्टून का जिक्र करते हुए)*

*क्योंकि:*

- *मंत्रियों के पास नीतियां बनाने की शक्ति है*
- *वे मंत्रालयों और संसाधनों को नियंत्रित करते हैं*
- *वे पार्टी और सरकार के भीतर प्रभाव हासिल करते हैं*
- *वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों की बेहतर सेवा कर सकते हैं*

***1. सरकार का प्रमुख***

*प्रधानमंत्री के पास **व्यापक शक्तियां हैं**, जिनमें शामिल हैं:*

***✔ कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता की***

- *प्रधानमंत्री सभी कैबिनेट बैठकों का नेतृत्व करते हैं।*
- *चर्चा और निर्णय उसके नेतृत्व में होते हैं।*

***✔ मंत्रालयों के कार्य का समन्वय करता है***

- *सभी मंत्रालयों को प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुरूप काम करना चाहिए।*
- *प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करते हैं कि वे कुशलता से एक साथ आगे बढ़ें।*

***✔ अंतिम निर्णय लेने वाला***

- *यदि दो मंत्रालय असहमत हैं, तो प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है।*

***✔ सभी मंत्रियों की निगरानी करता है***

- *प्रधानमंत्री हर मंत्रालय के कामकाज पर नजर रखते हैं।*

***✔ काम आवंटित करता है***

- *प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों (मंत्रालयों) का वितरण करते हैं।*
- *प्रधानमंत्री कभी भी मंत्रालयों को बदल सकते हैं या उनमें फेरबदल कर सकते हैं।*

***✔ मंत्रियों को बर्खास्त करने की शक्ति***

- *पीएम किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांगने के लिए कह सकते हैं।*
- *अगर पीएम इस्तीफा दे देते हैं तो **पूरा मंत्रिमंडल अपने आप इस्तीफा दे देता है** ।*

***2. पीएम कैबिनेट में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं***

BY SK MISHRA

*कैबिनेट भारत में सबसे शक्तिशाली संस्थान है, लेकिन कैबिनेट के भीतर:*
☞ ***प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली होते हैं।***
*हाल के दशकों में, कई संसदीय लोकतंत्रों में, प्रधानमंत्री इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि इस प्रणाली को कभी-कभी "**सरकार के प्रधान मंत्री रूप" के रूप में वर्णित किया जाता है।***

***3. पीएम की शक्ति क्यों बढ़ी है?***
✔ ***राजनीतिक दलों की भूमिका***
- *प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ दल का प्रमुख होता है।*
- *इससे पीएम को इस पर मजबूत नियंत्रण मिलता है:*
    - ***कैबिनेट***
    - ***संसद***
    - ***पार्टी के सांसद***

✔ ***मीडिया प्रभाव***
- *मीडिया अक्सर राजनीति को शीर्ष नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करता है।*
- *इससे पीएम की दृश्यता और प्रभाव बढ़ता है।*

✔ ***मजबूत व्यक्तित्व***
*व्यक्तिगत लोकप्रियता के कारण कुछ प्रधानमंत्रियों का असाधारण प्रभाव था:*
- ***जवाहरलाल नेहरू** को भारी जनसमर्थन प्राप्त था*
- ***इंदिरा गांधी** - कैबिनेट में प्रमुख भूमिका के साथ बहुत मजबूत नेता*

*इसलिए, प्रधानमंत्री की शक्ति उनके **व्यक्तित्व और लोकप्रियता पर भी निर्भर करती है**।*

***4. गठबंधन की राजनीति: प्रधानमंत्री की शक्ति पर एक सीमा***
*हाल के वर्षों में, भारत में कई सरकारें **गठबंधन सरकारें रही हैं**।*
*एक गठबंधन में:*
- *प्रधानमंत्री अकेले फैसले नहीं ले सकते।*
- *उसे सुनना चाहिए:*
    - *सत्तारूढ़ दल के भीतर विभिन्न समूह*
    - *गठबंधन के भागीदार*
    - *सहयोगी जिनका समर्थन सरकार को सत्ता में रखता है*

✔ ***प्रधानमंत्री को समझौता करना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए***
*इससे पीएम की आजादी कम हो जाती है और गठबंधन सहयोगियों का प्रभाव बढ़ जाता है।*

❖ ***राष्ट्रपति***

*प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख **होता है**, लेकिन **राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है**।*
*भारत की राजनीतिक प्रणाली में, राष्ट्रपति के पास **नाममात्र (औपचारिक) शक्तियां होती हैं**, जो ब्रिटेन की रानी के समान होती हैं। अधिकांश शक्तियों का उपयोग **केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है**।*

***1. राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?***
- *राष्ट्रपति को  सीधे लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है।*
- *चुनाव किसके द्वारा किया जाता है:*
    - *निर्वाचित सांसद (संसद सदस्य)*
    - *निर्वाचित विधायक (विधान सभाओं के सदस्य)*
- *जीतने के लिए, एक उम्मीदवार को  इन वोटों का बहुमत प्राप्त करना होगा। इस तरह, राष्ट्रपति **पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है**, न कि किसी विशेष क्षेत्र का।*
- *लेकिन क्योंकि लोग सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं, राष्ट्रपति  प्रधान मंत्री की तरह **प्रत्यक्ष लोकप्रिय जनादेश का दावा नहीं कर सकता** है  । यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति नाममात्र **की कार्यपालिका बनी रहे**।*

***2. संविधान राष्ट्रपति को क्या शक्तियां देता है?***
*पहली नज़र में, ऐसा लगता है कि संविधान राष्ट्रपति को **बहुत व्यापक शक्तियां** देता है:*
✔ ***सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं***
- *हर कानून*

- *हर बड़ा नीतिगत फैसला*
- *सभी सरकारी आदेश*

✔ ***सभी प्रमुख नियुक्तियां उसके नाम पर की जाती हैं, जैसे:***

- *भारत के मुख्य न्यायाधीश*
- *सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश*
- *राज्यों के राज्यपाल*
- *चुनाव आयुक्त*
- *अन्य देशों में राजदूत*

✔ ***सभी अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं***

✔ ***राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है***

- *सभी रक्षा बलों के प्रमुख: सेना, नौसेना, वायु सेना*

*लेकिन।।।*

***3. वास्तविकता: राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है***

*संसदीय लोकतंत्र में, राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है।*

- *राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह **पर कार्य करना चाहिए**।*
- *यदि वह असहमत है, तो वह परिषद से **अपनी सलाह पर** पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है।*
- *लेकिन अगर परिषद वही सलाह दोहराती है, तो राष्ट्रपति **इसका पालन करने के लिए** बाध्य है।*

✔ ***उदाहरण: एक विधेयक पारित करना***

- *कोई विधेयक तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं (सहमति देते हैं)।*
- *राष्ट्रपति इसे **एक बार पुनर्विचार के लिए** वापस भेज सकते हैं।*
- *लेकिन अगर संसद इसे फिर से पारित करती है, तो उन्हें **इस पर हस्ताक्षर करना** होगा।*

*इसलिए, अधिकांश शक्तियां **औपचारिक हैं**, वास्तविक नहीं।*

***4. राष्ट्रपति वास्तव में स्वतंत्र शक्ति का उपयोग कब करता है?***

*एक बड़ी स्थिति **है** जहां राष्ट्रपति अपने स्वयं के निर्णय का उपयोग करते हैं:*

✱ ***प्रधानमंत्री की नियुक्ति***

***केस 1: स्पष्ट बहुमत***

*यदि कोई पार्टी या गठबंधन लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करता है:*

- *राष्ट्रपति को **अपने नेता को प्रधान मंत्री के रूप में** नियुक्त करना चाहिए।*

***केस 2: कोई स्पष्ट बहुमत नहीं***

*अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है:*

- *राष्ट्रपति विवेक **(अपने स्वयं के निर्णय)** का उपयोग करता है।*
- *वह उस व्यक्ति की नियुक्ति करती है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन मिलने की सबसे अधिक संभावना होती है।*
- *फिर वह प्रधानमंत्री से एक निश्चित समय के भीतर **बहुमत साबित** करने के लिए कह सकती है।*

*यह राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण वास्तविक शक्ति है।*

***5. पुस्तक में राष्ट्रपति के लिए "वह" का उपयोग क्यों किया गया है?***

- *एनसीईआरटी **लिंग-तटस्थ भाषा का उपयोग करता है**।*
- *भारत में एक महिला राष्ट्रपति रही हैं - **प्रतिभा पाटिल**।*
- *हमारे पास एक महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं- इंदिरा **गांधी**।*
- *इसलिए, हमें **यह नहीं मानना चाहिए** कि शीर्ष पद हमेशा पुरुषों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।*

❖ ***राष्ट्रपति प्रणाली***

*भारत में, राष्ट्रपति केवल **नाममात्र का प्रमुख** होता है। लेकिन यह हर जगह सच नहीं है।*

✔ ***कई देशों में राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली होते हैं***

*कुछ राजनीतिक प्रणालियों में, राष्ट्रपति **दोनों** हैं:*

- *राज्य के प्रमुख*
- *सरकार के प्रमुख*

***संयुक्त राज्य अमेरिका** सबसे अच्छा उदाहरण है।*

**★ अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताएं**

**1. राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है।**

*इससे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से* ***लोकप्रिय जनादेश मिलता है****।*

**2. राष्ट्रपति सभी मंत्रियों की नियुक्ति स्वयं करता है।**

*मंत्री केवल राष्ट्रपति के प्रति* ***जिम्मेदार होते हैं****, विधायिका के प्रति नहीं।*

**3. शक्तियों का पृथक्करण**

- *विधायिका (कांग्रेस) कानून बनाती है*
- *लेकिन राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो* ***(अस्वीकार)*** *कर सकते हैं*
- *कांग्रेस केवल विशेष प्रक्रियाओं के साथ वीटो को ओवरराइड कर सकती है*

**4. राष्ट्रपति को कांग्रेस के समर्थन की जरूरत नहीं है**

- *वह अध्यक्ष बने रहते हैं, भले ही उनकी पार्टी अल्पमत में हो*
- *उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जा सकता क्योंकि कांग्रेस उनसे असहमत है*

**5. निश्चित कार्यकाल**

- *अमेरिकी राष्ट्रपति =* ***4 वर्ष,*** *चाहे कांग्रेस में कुछ भी हो*

*क्योंकि राष्ट्रपति के पास* ***केंद्रीय शक्ति*** *होती है, इसलिए इसे* ***सरकार का राष्ट्रपति रूप कहा जाता है।***

**★ संसदीय बनाम राष्ट्रपति प्रणाली**

| **लक्षण** | **संसदीय (भारत)** | **राष्ट्रपति (यूएसए)** |
|---|---|---|
| *सरकार के प्रमुख* | *प्रधानमंत्री* | *अध्यक्ष* |
| *राज्य के प्रमुख* | *राष्ट्रपति (नाममात्र)* | *राष्ट्रपति (वास्तविक)* |
| *सीधे निर्वाचित?* | *नहीं* | *हाँ* |
| *बहुमत के समर्थन की आवश्यकता है?* | *हाँ* | *नहीं* |
| *कार्यकाल* | *तय नहीं है* | *स्थायी* |
| *शक्ति में केंद्रित ...* | *संसद + प्रधानमंत्री* | *अध्यक्ष* |

**★ तीन सवालों के जवाब**

**1 एलिअम्मा का प्रश्न**

**उन्होंने कहा, 'अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी नीति पर असहमत हैं तो क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण हमेशा प्रबल होता है?**

**✔ हल:**

*भारत Yes.In, राष्ट्रपति को* ***प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए****।*

*यदि वह असहमत है:*

- *वह परिषद से सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है*
- *लेकिन अगर वही सलाह दोबारा दी जाती है, तो राष्ट्रपति को* ***इसका पालन करना चाहिए***

**☞ इसलिए, प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण हमेशा प्रबल होता है।**

**2 अन्नकुट्टी का प्रश्न**

**अगर राष्ट्रपति भारी बंदूक भी नहीं उठा सकते हैं, तो उन्हें सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर बनाने का क्या मतलब है?"**

**✔ हल:**

*भूमिका* ***संवैधानिक और प्रतीकात्मक है****, भौतिक नहीं।*

*राष्ट्रपति:*

- *युद्ध के मैदान में सेना की कमान नहीं देता*
- *सैन्य निर्णय स्वयं नहीं लेते हैं*

*बजाय:*

- *वास्तविक निर्णय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री* ***द्वारा लिए जाते हैं***
- *राष्ट्रपति सेना पर नागरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए* ***सर्वोच्च कमांडर है***

**☞ यह सशस्त्र बलों को बहुत शक्तिशाली बनने या स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोकता है।**

BY: NK MISHRA

*इसलिए, सर्वोच्च कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करता है:*

- *प्रजातंत्र*
- *नागरिक प्राधिकरण*
- *संवैधानिक संतुलन शारीरिक शक्ति नहीं।*

***3️⃣ मैरीमोल का प्रश्न***

***उन्होंने कहा, 'अगर सभी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हैं तो राष्ट्रपति होने का क्या मतलब है?'***

***✔ हल:***

*राष्ट्रपति की **महत्वपूर्ण भूमिकाएँ होती हैं**, भले ही वह अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह शक्तिशाली न हों।*

***राष्ट्रपति:***

- *राष्ट्र की **एकता और स्थिरता का** प्रतिनिधित्व करता है*
- *सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान का पालन **करे***
- *राज्य के एक तटस्थ, गैर-राजनीतिक प्रमुख **के रूप में कार्य करता है***
- *किसी भी पार्टी के पास बहुमत होने पर **प्रधानमंत्री** की नियुक्ति*
- *पुनर्विचार के लिए बिल वापस भेज सकते हैं*
- *निम्नलिखित स्थितियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं:*
  - *त्रिशंकु संसद*
  - *संवैधानिक संकट*
  - *राज्य सरकार का टूटना (राष्ट्रपति शासन)*

## *भारत में न्यायपालिका*

***1. न्यायपालिका क्या है?***

- *न्यायपालिका **किसी देश में** अदालतों की प्रणाली है।*
- *यह कानूनों की व्याख्या करता है, विवादों का निपटारा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्याय हो।*
- *भारत में, इसमें शामिल हैं:*
  - ***सर्वोच्च न्यायालय** (राष्ट्रव्यापी)*
  - ***उच्च न्यायालय** (राज्य स्तर)*
  - ***जिला न्यायालय और स्थानीय न्यायालय***

BY NK MISHRA

***2. एकीकृत न्यायपालिका***

- *भारत में एक **एकीकृत न्यायपालिका है**, जिसका अर्थ है:*
  - ***सुप्रीम कोर्ट अन्य सभी अदालतों की निगरानी करता है।***
  - *इसके फैसले **सभी निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी** होते हैं।*
- *सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित के बीच विवादों को संभाल सकता है:*
  - *नागरिकों*
  - *नागरिक और सरकार*
  - *विभिन्न राज्य सरकारें*
  - *केंद्र और राज्य सरकारें*
- *यह दीवानी और आपराधिक मामलों में **अपील की सर्वोच्च अदालत** है।*

***3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता***

- *न्यायपालिका विधायिका **और कार्यपालिका से स्वतंत्र है**।*
- *न्यायाधीश **सरकार या राजनीतिक दलों से आदेश नहीं लेते हैं**।*
- *यह निष्पक्ष और निष्पक्ष न्याय **सुनिश्चित करता है**।*

***न्यायाधीशों की नियुक्ति**:*

- *प्रधानमंत्री **और** मुख्य न्यायाधीश **की सलाह पर** राष्ट्रपति द्वारा **बनाया गया**।*
- *व्यवहार में, वरिष्ठ न्यायाधीश नए न्यायाधीशों का चयन करते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करते हैं।*

***कार्यकाल की सुरक्षा**:*

- *सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना बहुत मुश्किल है।*
- *हटाने के **लिए संसद के दोनों सदनों के दो-तिहाई द्वारा महाभियोग की आवश्यकता होती** है (शायद ही कभी होता है)।*

### *4. न्यायपालिका की शक्तियाँ*

- ***न्यायिक समीक्षा**: अदालतें कानून **या कार्यकारी कार्यों को अमान्य घोषित कर सकती हैं** यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं।*
- ***मौलिक अधिकारों के संरक्षक**: अदालतें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं और अधिकारों का उल्लंघन होने पर मामलों की सुनवाई कर सकती हैं।*
- ***जनहित याचिका (पीआईएल):** जनहित प्रभावित होने पर कोई भी नागरिक अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। अदालतें शक्ति के दुरुपयोग या कदाचार की जांच कर सकती हैं।*

### *5. न्यायपालिका क्यों आवश्यक है*

*कार्यालय ज्ञापन कहानी की कल्पना करें:*

- *यदि कोई सुप्रीम कोर्ट **नहीं होता**, या उसके पास **कोई शक्ति** नहीं होती, या **लोगों को उस पर भरोसा नहीं होता**, या भले ही उसके **फैसले स्वीकार नहीं किए जाते**, तो परिणाम अराजक हो सकता था।*
- *एक **स्वतंत्र और विश्वसनीय न्यायपालिका** न्याय सुनिश्चित करती है, सरकारी शक्ति की जांच करती है और जनता का विश्वास बनाए रखती है।*

BY: NK MISHRA